84

III/निगरानी/सतना/भू.रा./2017/2985

न्यायालय :– माननीय राजस्व मण्डल म.प्र.ग्वालियर

प्रक0 /2017 निगरानी

रामओतार पुत्र गिरजा प्रसाद ब्राह्मण
निवासी ग्राम झिगोंदर तहसील नागौद
जिला सतना म.प्र.

––– आवेदक

विरूद्ध

म.प्र. शासन

––– अनावेदक

श्री .... द्वारा आज दि 28.08.17 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट 28-8-17
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्र. क. 1217/2016–17 अपील में पारित आदेश दिनांक 05.08.2017 के विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत।

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से आवेदन पत्र निम्न प्रकार पेश है :–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्यः–

1. यह कि, पटवारी, ग्राम झिगोंदर तहसील नागौर जिला सतना के आराजी सर्वे क. 968 रकवा 0.826 हें., 969 रकवा 0.575 हें. कुलकिता 2 कुल रकवा 1.401 हें., भूमि के संबंध में हल्का पटवारी द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था। जिस पर आवेदक के द्वारा एक आवेदन पत्र संहिता की

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
भाग–अ

प्रकरण कमांक तीन / ~~पुनरावलोकन~~ निगरानी / सतना / भू.रा. / 2017 / 2985

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
12.1.2018	यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण कमांक 1217 / 2016–17 अपील में पारित आदेश दिनांक 5–8–2017 के विरूद्व म0प्र0भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ निगरानी की प्रचलनशीलता पर आवेदक के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्क सुने तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया। 3/ आवेदक के अभिभाषक के तर्को के परिप्रेक्ष्य में उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि ग्राम झिंगोदर तहसील नागौद की भूमि सर्वे कमांक 926 एंव 969 कुल किता 2 कुल रकबा 1.401 हैक्टर मध्य प्रदेश शासन के नाम की जलाशय भूमि है जिस पर आवेदक का बेजा कब्जा होने से नायव तहसीलदार वृत्त जसो तहसील नागौद ने प्रकरण कमांक 111 अ 68 / 12–13 में पारित आदेश दिनांक 30–10–12 से आवेदक को बेदखल करने के आदेश दिये हैं, जिसके विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी नागौद के समक्ष अपील की गई। अनुविभागीय अधिकारी नागौद ने प्रकरण कमांक 59 / 12–13 अपील में पारित आदेश दिनांक 30–6–17 से अपील खारिज की है। आवेदक ने इस आदेश के विरूद्व अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अपर आयुक्त, रीवा संभाग ने प्रकरण कमांक 1217 / 2016–17 अपील में पारित आदेश दिनांक 5–8–2017 से अपील निरस्त की है एंव आदेश में विवेचना की है कि अधीनस्थ न्यायालयों ने विधिक प्रावधानों का पालन करते हुये आवेदक को पक्ष प्रस्तुत करने का पर्याप्त	

अवसर देकर आदेश पारित किया है। यह भूमि मध्य प्रदेश शासन की है तथा भूमि की नौईयत जलाशय है। जलाशय भूमि बरषात में पानी एकत्रित करने एंव आम नागरिकों के व पशुओं के पेयजल के लिये सुरक्षित रखे जाने के उपयोग की है, जिसके कारण अपर आयुक्त, रीवा संभाग ने आदेश दिनांक 5–8–2017 से आवेदक की अपील निरस्त की है। नायव तहसीलदार वृत्त जसो तहसील नागौद के आदेश दिनांक 30–10–12 में , अनुविभागीय अधिकारी नागौद के आदेश दिनांक 30–6–17 में तथा अपर आयुक्त, रीवा संभाग के आदेश दिनांक 5–8–2017 में निकाले गये निष्कर्ष समरूप प्रतीत होते हैं जिसके कारण विचाराधीन निगरानी आगे सुनवाई का कोई औचित्य नहीं होने से इसी–स्तर पर अमान्य की जाती है।

सदस्य